बिहार राज्य भण्डार निगम

(भंडार निगम अधिनियम 1962 के तहत स्थापित)

निविदा-प्रपत्र

निविदा सूचना सं0-TH 05/2017-18

बिहार राज्य के अंतर्गत विभिन्न केंद्रों पर **खाद्यान्न /उर्वरक के परिवहन एवं हथलन** कार्य **के लिये**

प्रधान कार्यालय
ब्लॉक-B-II, प्रथम तल,
मौर्यालोक परिसर,
पटना – 800001

बिहार राज्य भंडार निगम

BIHAR STATE WAREHOUSING CORPORATION

बी–2, प्रथम तल, मौर्यलोक परिसर, पटना–800 001

B-2, First Floor, Mauryalok Complex, Patna-800 001

प्रबंध निदेशक का कार्यालय, पटना

Office of the Managing Director, Patna

(केवल ई–टेन्डर पद्धति के अनुसार, वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in)

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–TH - 05/2017-18

Notice inviting Tender No. –TH - **05/2017-18**

बिहार राज्य भण्डार निगम दो बोली प्रणाली के तहत,अनुसूचित दर के आधार पर एक समान प्रतिशत दर से, **बिहार** में स्थित गोदामों/केन्द्रों के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए, गोदामों में संग्रहीत किये जाने वाले खाद्यान्न / उर्वरक के नियमित राज्यीय और अन्तर्राजीय परिवहन एवं हथलन कार्य के लिए, बिहार राज्य भण्डार निगम में निबंधित परिवहन एवं हथलन (T & H) ठेकेदारों से ई - निविदा आमंत्रित करता है*।* (अंतिम रूप से चयनित परिवहन अभिकर्ता को केन्द्रों पर भण्डारण योग्य गोदाम, 60 (साठ)मीट्रिक टन की इलेक्ट्रॉनिक तुला चौकी (वे ब्रिज) ऑपरेटर सहित , सूचना प्रबंधन प्रणाली यानी इंटरनेट की सुविधा,कंप्यूटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ उपलब्ध कराना होगा)।निविदा सम्बन्धी पूर्ण जानकारी वेबसाइट *www.eproc.bihar.gov.in* पर उपलब्ध है।

I. कार्य की विवरणी – बिहार राज्य के अंतर्गत विभिन्न केंद्रों पर परिवहन एवम् हथलन का कार्य

बिहार राज्य						
डिवीज़न का नाम	केंद्र का नाम		गोदामों का वर्गीकरण (ग्रेड A /B/ C)	भंडारण क्षमता (in MT)	विगत दो वर्षो का Turn Over (रु में)	अग्रधन राशि (रु में)
मगध	1.	मोहनिया (पी.ई.जी केन्द्र)	A	25000	12,28,33,715.00	24,56,674.00
मगध	2.	वारिसलीगंज	A	3469	3,64,56,196.00	7,29,123.00
मगध	3.	जहानाबाद	A	10000	7,70,50,624.00	15,41,012.00
मगध	4.	औरंगाबाद (ए.एन. रोड) (पी.ई.जी केन्द्र)	A	20000	8,65,68,198.00	17,31,363.00
भागलपुर	5.	खगड़िया (पी.ई.जी केन्द्र)	A	10000	8,65,68,198.00	17,31,363.00

नोटः– निगम के द्वारा पी.ई.जी. योजनान्तर्गत पूर्व से निर्मित एवं नये प्रारम्भ होने वाले सभी गोदाम को भारतीय खाद्य निगम के द्वारा दस वर्षीय गारंटी योजनान्तर्गत लिए जाने के कारण श्रेणी– A में संबद्ध किया गया है।

अतएव पी.ई.जी. योजना के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रों के व्यवसाय (जो भी न्यूनतम हो) को ही नये केन्द्र का आधार माना गया है। इसी आधार पर औरंगाबाद का टर्न–ओवर खगड़िया के अनुसार रखा गया है।

उपरोक्त केन्द्रों के अलावा निविदा प्रक्रिया के दौरान केन्द्रों की संख्या में कोई बदलाव होता है या केन्द्रों की संख्या में बढ़ोतरी होती है तो नये केन्द्रों की निविदा की सूचना शुद्धि पत्र के द्वारा वेबसाईट (www.eproc.bihar.gov.in) के माध्यम से दी जायेगी। निविदा की सभी नियम एवं शर्त्ते यथावत रहेगी।

बिना किसी सूचना के एवं बिना कोई कारण बताये निविदा में दी गई केन्द्रों की संख्या में किसी भी तरह के बदलाव का अधिकार प्रबंध निदेशक के पास सुरक्षित रहेगा। उनका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

2.	निविदा सूचना आमंत्रित करने की तिथि:-	दिनांक: 28.04.2017
3.	निविदा-प्रपत्र की बिक्री शुरू करने की तिथि	दिनांक 16-05-2017 से 26-05-2017 (केवल वेबसाइट पर www.eproc.bihar.gov.in)
4.	निविदा खोले जाने से पूर्व की बैठक का समय, स्थान व तिथि	11:00 पूर्वाह्न बिहार राज्य भंडार निगम, प्रधान कार्यालय, पटना, तारीख: 18-05-2017

5.	EMD और BOQ के डिमांड ड्राफ्ट कि Original Copy जमा करने की तिथि एवम् समय	29-05-2017 को अपराह्न 5.00 बजे तक, बिहार राज्य भंडार निगम, प्रधान कार्यालय, पटना
6.	निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि व समय	तारीख 29-05-2017 (3:00 बजे अपराह्न तक) (केवल वेबसाइट पर www.eproc.bihar.gov.in)
7.	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय	तारीख 31-05-2017अपराह्न 300 बजे (केवल वेबसाइट पर www.eproc.bihar.gov.in
8.	वितीय निविदा खोलने की तिथि व समय	सक्षम प्राधिकार द्वारा बाद में सूचित किया जाएगा ।(केवल वेबसाइट पर www.eproc.bihar.gov.in)
9.	निविदा-प्रपत्र का मूल्य (गैर वापसीय)	रुपये 25,000 / - (पचीस हजार) डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा। इसके अलावा bid processing fee 1150/- रुपये e-payment के माध्यम से (जैसे –Credit Card/ Debit Card, Net Banking, NEFT/ RTGS आदी के द्वारा निविदा जमा करने के पह्ले Beltron को आवश्यक रूप से करना होगा I
10.	निविदा की वैधता	120 दिन(तकनीकी बीड खुलने की तिथि के समय से)
11.	निविदा आ मंत्रित करने वाले पदाधिकारी का पदनाम,	प्रबंध निदेशक ,बिहार राज्य भंडार,निगम बी-II, प्रथम मंजिल, मौर्यालोक परिसर,पटना-800 001
12.	यूजर आईडी, पासवर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर	ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए यूजर आईडी, पासवर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा के लिए पर पंजीकृत होना आवश्यक हैंwww.eproc.bihar.gov.in
13	निविदा प्रपत्र केवल www.eproc.bihar.gov.in पर डाउन लोड और अपलोड किया जा सकता है।	
14	सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों / बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी / अन्य सभी प्रमाणपत्र /शपथ पत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न कर अपलोड किया जाना जरूरी है।	
15	निविदा से सम्बंधित किसी भी प्रकार का शुद्धि पत्र www.eproc.bihar.gov.in वेवसाईट पर प्रकाशित किया जाएगा। निविदाकर्ता वेव साईट में प्रकाशित निविदा से सम्बंधित किसी भी अद्यतन जानकारी के बारे में सतर्क और जागरूक रहेगा ।अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकार / अस्वीकार / न्यूनतम निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।	
16	निविदाकर्ता पूरे स्कैन दस्तावेज़ पर क्रम संख्या डालकर उसे क्रमानुसार अपलोड करेगा ताकि उस दस्तावेज को आसानी से ढूंढा जा सके। सभी दस्तावेज पर पृष्ठ संख्या अंकित करना आवश्यक है। सभी दस्तावेजों को पीडीएफ, जेपीईजी, प्रारूप में अपलोड किया जाना अनिवार्य है , अन्यथा निविदाकर्ता द्वारा किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।	

17	निविदाकर्ता को अपलोड किये गए स्कैन दस्तावेज की स्पष्टता के बारे में खुद भी संतुष्ट होना चाहिए जो कि पढने योग्य हो। सभी फ़ोटो स्टेट दस्तावेज पर मुहर और निविदाकर्ता का हस्ताक्षर आवश्यक होगा।
18	निविदा दस्तावेज अपलोड / डाउनलोड करने में इंटरनेट सेवाओं में बाधा के कारण त्रुटि रहने पर किसी भी समस्या पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदाकर्ताओं को सलाह है, की निविदा अपलोड करने के दौरान किसी भी कठिनाई से बचने के लिए निविदा की स्वीकृति कि अंतिम तारीख से एक दिन पहले ही दस्तावेज़ अपलोड कर दे , ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।
19	कोई अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस पर **प्रमंडलीय प्रबंधक** (व्यवसाय), बिहार राज्य भंडार निगम ,पटना से दूरभाष संख्या **9471008137** पर प्राप्त किया जा सकता है।
20	निविदाकर्ता प्रत्येक केंद्र के लिए अलग निविदा प्रस्तुत करेगा और अलग - अलग निविदा प्रपत्र का मूल्य और अग्रधन राशि जमा करेगा। अग्रधन राशि का डिमांड ड्राफ्ट गोदाम / केंद्र के पिछले 2 साल के सालाना परिवहन और हथलन कार्य के टर्नओवर के **2 (दो) %** के बराबर होगा, जैसा की निविदा सूचना में निर्देशित है। बिहार राज्य भंडार निगम के ग्रेड A,B,C केंद्र में निविदा देने के लिए श्रेणी (I) (II) (III) में निबंधित ठेकेदार / लिमिटेड कंपनी को बिहार राज्य भंडार निगम , भारतीय खाद्य निगम , बिहार राज्य खाद्य निगम में रेलवे साइडिंग पर परिवहन एवं हथलन कार्य निपटाने का कार्यानुभव होना आवश्यक है जिन निविदाकर्ता को BSWC ,FCI या SFC में कार्य करने का अनुभव नहीं है, उन्हें निविदा सुचना में निर्देशित **2 (दो)%**अग्रधन राशि का दो गुना यानि **4 (चार) % के बराबर अग्रधन राशि** का ड्राफ्ट निविदा में अपलोड करना होगा।(**जो केवल** ग्रेड B और ग्रेड C केंद्र की निविदा में शामिल हो सकते है)
21	अग्रधन राशि और निविदा प्रपत्र के मूल्य वाले डिमांड ड्राफ्ट के पीछे निविदाकर्ता ने जिस केंद्र के लिए निविदा प्रपत्र ख़रीदा है - उस केंद्र का नाम / निविदाकर्ता का नाम / कंपनी का नाम लिखा होना चाहिए।
22	अग्रधन राशि और निविदा प्रपत्र के मूल्य का डिमांड ड्राफ्ट “बिहार स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन” के पक्ष में पटना में भुगतेय होगा। निविदाकर्ता के लिए डिमांड ड्राफ्ट प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भण्डार निगम, पटना के कार्यालय में **निर्धारित तिथि एवं समय पर** जमा कर **साक्ष्य के रूप में** कार्यालय से रसीद प्राप्त करना अनिवार्य है। डिमांड ड्राफ्ट के स्कैन की हुई कॉपी को तकनीकी बोली के साथ अपलोड करना **आवश्यक** है।
23.	**श्रेणी**(I) में निबंधित फर्म /ठेकेदार ग्रेड A ग्रेड B ग्रेड C तीनो ग्रेड के गोदामों/केन्द्रों के लिए निविदा देने में सक्षम होंगे। निबंधित लिमिटेड कंपनी **श्रेणी**(I) में निबंधित है, इसलिए ग्रेड A ग्रेड B ग्रेड C तीनो ग्रेड के गोदामों/केन्द्रों के लिए निविदा देने में सक्षम होगी। **श्रेणी**(II)में निबंधित फर्म /ठेकेदार , सिर्फ ग्रेड B और ग्रेड C ग्रेड के गोदामों/केन्द्रों में निविदा डालने में सक्षम होंगे। **श्रेणी** (III) में निबंधितफर्म / ठेकेदार सिर्फ ग्रेड C के गोदामों/केन्द्रों में निविदा डालने में सक्षम होंगे। **नोट :- ठेकेदार अपनी श्रेणी और गोदाम के ग्रेड के अनुसार निर्धारित तय सीमा में ही, अपने निविदा प्रस्ताव देंगे , इस सीमा का पालन नहीं करने वाले निविदाकर्ता की अग्रधन राशि जब्त कर ली जाएगी।**

❖ **नोट :-**

- 2017-18 **की वर्त्तमान** निविदा CVC एवं CWC के दिशा निर्देशों के अनुसार बराबर नियम और शर्तो पर **निर्धारित** है ।

- किसी भी निविदा को निविदाकर्ता द्वारा संशोधित या वापस लिया जाता है, तो वैसी परिस्थति में निविदाकर्ता के निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा और अग्रधन के रूप मे जमा की गयी राशि को निविदा की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही इसको वापस करने पर विचार किया जाएगा।

- निविदा खोलने के लिए तय तिथि को यदि बाद में अवकाश घोषित किया जाता है, तो छुट्टी के बाद अगले कार्य दिवस पर निविदाओं को खोला जाएगा, लेकिन खोलने के समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- प्रबंध निदेशक, BSWC, पटना विशेष परिस्थति में अपने विवेक के आधार पर, निविदा खोलने के लिए तय समय में 15 (पंद्रह) दिनों का विस्तार कर सकते हैं।

- वितीय बोली के शब्दो और अंको में यदि कोई अंतर होता है, तो दोनों में जो भी निम्न होगा, वही बोली मान्य होगी।

- वितीय बोली के खोले जाने से पहले सभी मूल दस्तावेज, सत्यापन के लिए BSWC कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अपलोड किये गए दस्तावेजो के सत्यापन के लिए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने वाले निविदाकर्ता की अग्रधन राशि जब्त कर ली जाएगी और निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।

- **वैसे परिवहन अभिकर्ता जिनकी निगम में निविदा के आधार पर बहाली की गई है, वे अगर सवलेटिंग के दोषी पाये गये है या उनके खिलाफ सवलेटिंग के साक्ष्य है तथा उनके खिलाफ किसी भी तरह का कानूनी/विभागिय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तो इस स्थिति में ऐसे संवेदक को निविदा आवेदन देने योग्य नही माना जाएगा तथा उनकी निविदा को किसो भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।**

- सभी निर्देशो को ई-निविदा शर्तों के अनुसार पढ़ा जाना चाहिए।

प्रबंध निदेशक

बिहार राज्य भंडार निगम